

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32 के परिशिष्ट 1 के अन्तर्गत गठित पदोन्नति समिति द्वारा निम्नलिखित सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद की वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनोपरान्त अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद की पे. मेट्रिक लेवल एल-11 में पदोन्नत कर उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

इन पदोन्नत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को नवपदस्थापित स्थान पर दिनांक 20.09.2019 तक कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा, कार्यग्रहण अवधि में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान इनको अविलम्ब कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। जो अधिकारी पदोन्नति का परित्याग करना चाहते हैं सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान उनसे लिखित में पदोन्नति परित्याग का आवेदन पत्र प्राप्त करें, आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में दिनांक 20.09.2019 तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अधिकारियों का स्वतः ही पदोन्नति से परित्याग मानते हुए परित्याग का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुस्तिका में लाल स्याही से अंकित करते हुए इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से दिनांक 21.09.2019 तक ई मेल sogad2019@gmail.com पर प्रेषित करेंगे।

क्र.स.	नाम	वर्ग	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान	चयन तिथि
1	चन्द्रशेखर चौहान	सामान्य	04-09-65	डाईट राजसमन्द	निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर	01.09.19
2	भंवरसिंह चौहान	सामान्य	11-03-63	राउमावि डेबारी उदयपुर	जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा डुंगरपुर	01.09.19

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 8.4.2003 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान नहीं होने का शपथपत्र स्वप्रमाणित प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करवाये। किसी कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन हो, जिससे पदोन्नति पर प्रभाव पड़ता हो उन्हें कार्यमुक्त नहीं करें एवं इस कार्यालय को तत्काल सूचना प्रेषित करें।


(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/साप्र/बी-1/डीपीसी/अति.प्रशा.अधि./2019-20 /112 दिनांक-09/21/19
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर
- 2- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर/राजसमन्द
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक उदयपुर/राजसमन्द
- 4- सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 5- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान
- 6- सम्बन्धित कार्मिक
- 7- गार्ड पंजिका


उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर